न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 08/23

राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी(अगि) श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

श्री रामकुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, नगरपालिका क्षेत्र तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर मालिक वर्मा साईकिल स्टोर सादुलशहर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 23 लीटर पेट्रोल एवं 05 लीटर डीजल मय दो प्लास्टिक के बड़े गैलन, एक प्लास्टिक के छोटा गेलन, दो प्लास्टिक बोतल, एक लोहे का नाम क्षमता 5 लीटर, एक लोहे का माप क्षमता 1 लीटर, एक लोहे की कीप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी रामकुमार स्वयं

निर्णय दिनांक : 21.08.2023

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 06.08.2023 को अवैध पेट्रोल व डीजल को ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु श्री योगेश देवल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर के वर्मा साईकिल स्टोर, कृषि उपज मण्डी के सामने सादुलशहर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी रामकुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, नगरपालिका क्षेत्र सादुलशहर मालिक वर्मा साईकिल स्टोर, सादुलशहर तहसील सादुलशहर उपस्थित मिले। मौके पर दुकान के आगे एक मोटर साईकिल पेट्रोल डलवाने हेतु खड़ा था। मौके पर दुकान की जांच करवाने पर दुकान में साईकिल रिपेयर करने का सामान आदि रखा हुआ है। दुकान की जांच कर पर दुकान में एक सफेद रंग के गैलन में 15 लीटर पेट्रोल पाया गया। एक भूरे रंग के छोटे गैलने में 5 लीटर पेट्रोल भी पाया गया। एक प्लास्टिक की बोतल में 2 लीटर पेट्रोल तथा एक अन्य प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल पाया गया। दौराने जांच एक सफेद रंग के गैलन में 5 लीटर डीजल भी पाया गया। मौके पर अप्रार्थी रामकुमार से पेट्रोल/डीजल को बेचान करने सम्बन्धी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः मौके पर पाया गया एक सफेद रंग के गैलन में 15 लीटर पेट्रोल पाया गया। एक भूरे रंग के छोटे गैलने में 5 लीटर पेट्रोल भी पाया गया। एक प्लास्टिक की बोतल में 2 लीटर पेट्रोल तथा एक अन्य प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल पाया गया। दौराने जांच एक सफेद रंग के गैलन में 5 लीटर डीजल को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके

पर जब्त किया गया कुल 23 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल, दो बड़े प्लास्टिक गैलन, एक छोटा प्लास्टिक गैलन, दो प्लास्टिक बोतल एसंग दो लोहे के माप एवं एक लोहे की कीप को मौके पर ही श्री विजयकुमार पुत्र कश्मीरी लाल वधवा उचित मुल्य दुकानदार कड़वाला तहसील सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः अप्रार्थी रामकुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3 (4), 4 का स्पष्ट उल्लघन है। अतः अप्रार्थी रामकुमार से मौके पर जब्त किये गये 23 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल, दो बड़े प्लास्टिक गैलन, एक छोटा प्लास्टिक गैलन, दो प्लास्टिक बोतल एसंग दो लोहे के माप एवं एक लोहे की कीप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी रामकुमार के खिलाफ संज्ञान लिया गया। रामकुमार को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी रामकुमार ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी की सादुलशहर में वर्मा साईकिल स्टोर के नाम से साईकिल पेंचर की दुकान है। दिनांक 06.08.2023 को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेशानुसार प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण करने पर प्रार्थी की दुकान में पेट्रोल डीजल पाया गया। प्रार्थी उपरोक्त पेट्रोल व डीजल अपने स्वयं के साधन में उपयोग में लेने के लिए रखा हुआ था। प्रार्थी किसी प्रकार का पेट्रोल व डीजल के क्रय विक्रय का कारोबार नहीं करता है। प्रार्थी की दुकान में जो माप ,कीप आदि है वह अपने साधन में पेट्रोल डीजल डालने की सुविधा के लिए रखा हुआ है, किसी ने प्रार्थी से रंजिश रखते हुए यह कार्यवाही करवाई है, जबकि प्रार्थी न तो पूर्व में पेट्रोल व डीजल का विक्रय किया व ना ही वर्तमान में कर रहा है। प्रार्थी की पेंचर की दुकान होने के कारण मोटरसाईकिल भी वहां पर पेंचर के लिए आ जाते है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को दिये गये नोटिस की कार्यवाही को ड्रोप फरमाते हुए नोटिस दाखिल दफतर फरमाया जावें।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 06.08.2023 को अवैध पेट्रोल व डीजल को ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु श्री योगेश देवल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर वर्मा साईकिल स्टोर, कृषि उपज मण्डी के सामने सादुलशहर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी रामकुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, नगरपालिका क्षेत्र सादुलशहर मालिक वर्मा साईकिल स्टोर, सादुलशहर तहसील सादुलशहर उपस्थित मिला। मौके पर दुकान के आगे एक मोटर साईकिल पेट्रोल डलवाने हेतु खड़ा था। मौके पर दुकान की जांच करवाने पर दुकान में साईकिल रिपेयर करने का सामान आदि रखा हुआ है। दुकान की जांच कर पर दुकान में एक सफेद रंग के गैलन में 15 लीटर पेट्रोल पाया गया। एक भूरे रंग के छोटे गैलने में 5 लीटर पेट्रोल भी पाया गया। एक प्लास्टिक की बोतल में 2 लीटर

पेट्रोल तथा एक अन्य प्लास्टिक की बोतल मे 1 लीटर पेट्रोल पाया गया। दौराने जांच एक सफेद रंग के गैलन में 5 लीटर डीजल भी पाया गया। मौके पर अप्रार्थी रामकुमार से पेट्रोल/डीजल को बेचान करने सम्बन्धी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः मौके पर पाया गया एक सफेद रंग के गैलन में 15 लीटर पेट्रोल पाया गया। एक भूरे रंग के छोटे गैलने में 5 लीटर पेट्रोल भी पाया गया। एक प्लास्टिक की बोतल मे 2 लीटर पेट्रोल तथा एक अन्य प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल पाया गया। दौराने जांच एक सफेद रंग के गैलन में 5 लीटर डीजल को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर जब्त किया गया कुल 23 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल, दो बड़े प्लास्टिक गैलन, एक छोटा प्लास्टिक गैलन, दो प्लास्टिक बोतल एंव दो लोहे के माप एवं एक लोहे की कीप को मौके पर ही श्री विजयकुमार पुत्र कश्मीरी लाल वधवा उचित मुल्य दुकानदार कड़वाला तहसील सादुलशहर की सुपुर्दगी मे दिया। अतः अप्रार्थी रामकुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ),3 (4), 4 का स्पष्ट उल्लघन है। अतः अप्रार्थी रामकुमार से मौके पर जब्त किये गये 23 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल, दो बड़े प्लास्टिक गैलन, एक छोटा प्लास्टिक गैलन, दो प्लास्टिक बोतल एंव दो लोहे के माप एवं एक लोहे की कीप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की सादुलशहर में वर्मा साईकिल स्टोर के नाम से साईकिल पेंचर की दुकान है। प्रार्थी उपरोक्त पेट्रोल व डीजल अपने स्वयं के साधन में उपयोग में लेने के लिए रखा हुआ था। प्रार्थी किसी प्रकार का पेट्रोल व डीजल के विक्रय का कारोबार नहीं करता है। प्रार्थी की दुकान में जो माप ,कीप आदि है वह अपने साधन में पेट्रोल डीजल डालने की सुविधा के लिए रखा हुआ है, प्रार्थी न तो पूर्व में पेट्रोल व डीजल का विक्रय किया व ना ही वर्तमान में कर रहा है। प्रार्थी की पेंचर की दुकान होने के कारण मोटरसाईकिल भी वहां पर पेंचर के लिए आ जाते है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को दिये गये नोटिस की कार्यवाही को ड्रोप फरमाते हुए नोटिस दाखिल दफतर फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 06.08.2023 को अवैध पेट्रोल व डीजल को ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु श्री योगेश देवल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर वर्मा साईकिल स्टोर, कृषि उपज मण्डी के सामने सादुलशहर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी रामकुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, नगरपालिका क्षेत्र सादुलशहर मालिक वर्मा साईकिल स्टोर, सादुलशहर तहसील सादुलशहर उपस्थित मिला।दुकान की जांच कर पर दुकान मे एक सफेद रंग के गैलन में 15 लीटर पेट्रोल पाया गया। एक भूरे रंग के छोटे गैलने में 5 लीटर पेट्रोल भी पाया गया। एक प्लास्टिक की बोतल

मे 2 लीटर पेट्रोल तथा एक अन्य प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल पाया गया। दौराने जांच एक सफेद रंग के गैलन में 5 लीटर डीजल भी पाया गया। मौके पर अप्रार्थी रामकुमार से पेट्रोल/डीजल को बेचान करने सम्बन्धी कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र नहीं है। मौके पर जब्त किया गया कुल 23 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल, दो बड़े प्लास्टिक गैलन, एक छोटा प्लास्टिक गैलन, दो प्लास्टिक बोतल एवंम दो लोहे के माप एवं एक लोहे की कीप को मौके पर ही श्री विजयकुमार पुत्र कश्मीरी लाल वधवा उचित मुल्य दुकानदार कड़वाला तहसील सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया।

इस प्रकार अप्रार्थी रामकुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ),3 (4), 4 का स्पष्ट उल्लघन है। अतः अप्रार्थी रामकुमार से मौके पर जब्त किये गये 23 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल, दो बड़े प्लास्टिक गैलन, एक छोटा प्लास्टिक गैलन, दो प्लास्टिक बोतल एंव दो लोहे के माप एवं एक लोहे की कीप को राजसात करने का आदेश फरमावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर